निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस., जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या : 147/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
गोविन्द सहाय मीणा पुत्र स्व. श्री मैक राम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम कोटड़ा तहसील आमेर जिला, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री बजरंग लाल स्वामी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर ।
2. रामसुख दास चेला भूरा दास निवासी ग्राम कोटड़ा, तहसील आमेर जिला जयपुर। हाल निवासी ढेहर के बालाजी के मन्दिर के पास, सीकर रोड, जयपुर। ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रकरण प्रार्थना पत्र विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 56/2024व उनवानी रामसुख दास बनाम छोटू व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री अमन पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रोशन लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.01.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 56/2024 व उनवानी रामसुख दास बनाम छोटू व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 04.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को गाम में धमकी दी कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है और उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया है कि वह शीघ्र ही उक्त दावे का निस्तारण मेरे पक्ष में कर देंगे। दिनांक 08.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 ने पुनः प्रार्थी को न्यायालय के बाहर धमकी दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है अब वो शीघ्र ही दावे को हमारे पक्ष में डिक्री कर देंगे। क्योंकि मेरी राजनैतिक पहुंच ऊपर तक है । मैं अपने धनबल एवं राजनैतिक पहुंच के कारण पीठासीन अधिकारी पर दबाव बना रखा है जिस कारण वो शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में कर देंगे। तत्पश्चात प्रार्थी न्यायालय में गया तो उसने अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 के चेम्बर में से आते

जिला कलक्टर
जयपुर

देखा। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को पुनः दावा उनके पक्ष में डिक्री कराने की धमकी दी। जिस पर प्रार्थी ने उक्त घटना की पीठासीन अधिकारी को जानकारी दी तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मै कुछ नहीं कर सकता । मैं उक्त दावे का शीघ्र निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करूंगा । इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देखकर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है । इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है । ऐसी स्थिति में उक्त मामले को निस्तारण हेतु अन्यत्र न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । उक्त वाद को यदि अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है कोई आपात्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

. उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 56/2024 ब उनवानी रामसुख दास बनाम छोटू व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 10.02.2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

). निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर